

भारत सरकार (रेलवे मंत्रालय)

रेलवे भर्ती बोर्ड, प्रयागराज

रेलवे अस्पताल के पास, सूबेदारगंज, प्रयागराज-211015

Website : www.rrbpryj.gov.in, Contact us (ph) : 0532-2224531

सीईएन संख्या 01/2024 के अंतर्गत सहायक लोको पायलट (एएलपी) द्वितीय चरण के लिए मंडल चिकित्सा बोर्ड/समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील

सहायक लोको पायलट (एएलपी) पद के लिए के०रो०सू०संख्या-01/2024 के अंतर्गत, आरआरबी/प्रयागराज द्वारा दस्तावेज सत्यापन के बाद उम्मीदवारों को उत्तर मध्य रेलवे के संभागीय रेलवे अस्पतालों में चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा गया था। चिकित्सा परीक्षा में, कुछ उम्मीदवार अपने द्वारा चुने गए पद के लिए आवश्यक चिकित्सा श्रेणी में अयोग्य पाए गए। इन उम्मीदवारों को संभागीय चिकित्सा बोर्ड (डीएमबी) के समक्ष उपस्थित होने का अवसर दिया गया।

यदि ये उम्मीदवार डीएमबी/तीन सदस्यीय समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं तो वे अपीलीय अधिकारियों के समक्ष अपील कर सकते हैं।

(क) अपील प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज को संबोधित की जानी चाहिए और इसे अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड, उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय कार्यालय के विपरीत, सूबेदारगंज रेलवे अस्पताल के निकट, सूबेदारगंज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, पिन-211015 को प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक को अग्नेषित करने के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(a) अपील इस सूचना के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर, अर्थात् 18-03-2026 को शाम 6:00 बजे तक स्पीड पोस्ट द्वारा/व्यक्तिगत रूप से रेलवे भर्ती बोर्ड/प्रयागराज कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए।

अपील के बाद, चिकित्सा परीक्षण के लिए कोई और मौका नहीं दिया जाएगा।

ऐसी अपील पर तभी विचार किया जाएगा, जब –

1. अपील में अपील करने वाले उम्मीदवार द्वारा अपील करने का कारण/औचित्य बताया जाना चाहिए (प्रोफार्मा बी के अनुसार)।
2. उम्मीदवार उस विशेषज्ञता/विशेषज्ञताओं के सरकारी/निजी डॉक्टर से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है जिसमें उम्मीदवार को अयोग्य पाया गया है।
3. ऐसे प्रमाण पत्र में यह उल्लेख होना चाहिए कि सरकारी/निजी विशेषज्ञ रेलवे द्वारा संबंधित चिकित्सा श्रेणी के लिए निर्धारित शारीरिक एवं दृश्य मानकों से पूरी तरह अवगत है, और उसे इस बात की जानकारी है कि सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त तीन वरिष्ठ रेलवे डॉक्टरों से युक्त उपयुक्त चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षण के दौरान उम्मीदवार को इन मानकों के अनुसार पहले ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है (प्रोफार्मा 'ए' के अनुसार)।

4. प्रमाण पत्रों पर उम्मीदवारों की फोटो और पहचान चिह्न होना चाहिए, जो किसी सरकारी/निजी जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा विधिवत सत्यापित हो।
5. ऐसे जारीकर्ता प्राधिकरण को अपना एमसीआई/राज्य पंजीकरण क्रमांक भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।
6. हालांकि, शुल्क का भुगतान उम्मीदवार द्वारा किया जाएगा और इसके लिए, जिन उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षण प्रयागराज और कानपुर में आयोजित की गई थी, उन्हें **प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज के पक्ष में देय 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट** जमा करना होगा।
7. संबंधित अपीलीय प्राधिकारी और वह प्राधिकारी जिसके पक्ष में विलेख तैयार किया जाएगा, नीचे दर्शाया गया है:

अस्पताल का नाम जहाँ पर चिकित्सा परीक्षण हुआ था	किसके समक्ष अपील की जानी चाहिए	डीडी किसके नाम पर बनाई जानी चाहिए
प्रयागराज	प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज	पीएफए, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज
कानपुर	प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज	पीएफए, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज
झाँसी	प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज	पीएफए, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

यदि प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक को लगता है कि अपील के मामले की पुनः जांच होनी चाहिए, तो वह उम्मीदवार की पुनः जांच के लिए एक चिकित्सा बोर्ड का गठन कर सकता है। प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा विधिवत अनुमोदित चिकित्सा बोर्ड की सिफारिशें रेलवे भर्ती बोर्ड/प्रयागराज के माध्यम से उम्मीदवार को भेजी जानी चाहिए।

यदि अयोग्य घोषित होने का निर्णय योग्य घोषित हो जाता है, तो उम्मीदवार को शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

नीचे दी गई तालिका में सीईएन 01/2024 के अंतर्गत सहायक लोको पायलट पद के उन उम्मीदवारों के रोल नंबर, नाम, उनके पद विकल्प के अनुसार आवश्यक चिकित्सा मानक और चिकित्सा प्रयागराज में घोषित फिटनेस का विवरण दिया गया है, जिन्हें चिकित्सा श्रेणी के कारण पैनल में शामिल नहीं किया गया है।

Assistant Loco Pilot under CEN No. 01/2024 (2nd List of DV)

SL	DV Sl. No.	Roll Number (CBT2)	Name	Medical Standard	Medical fitness Report
1	ALP-0003	131245170157963	ADARSH KUMAR	A1	Unfit in Aye One for DMC recommended
2	ALP-0117	131245190239354	GAURAV UPADHYAY	A1	Unfit in ALP - A1 due to substandard DV in both eyes as per para 512(1) (A) page no 61 of IRMM 2000 vol I chapter IV.
3	ALP-0124	131244120211054	RAVIRAJ PANCHAL	A1	Unfit in ALP- A1 due to substandard DV in both eyes as per para 512(1)(A) page no 61 of IRMM 2000 vol I chapter IV.
4	ALP-0134	131244130150710	SAPANVEER SINGH	A1	Unfit Aye One as per para 511 (i) (2) (3) F of IRMM. (Due to shortened and deformed Ring Finger (R) hand).
5	ALP-0147	131244170087745	KARAN PRATAP PAL	A1	Unfit in Aye One (A-1)
6	ALP-0162	131244190259695	RAVISH KUMAR VERMA	A1	Unfit in A-1 due to substandard vision in both eyes.
7	ALP-0304	131244150043985	ANAND VISHWAKARMA	A1	Unfit in Aye One (A-1) as per para 502 (6) (J) of IRMM 2000.
8	ALP-0503	131241170030882	KANCHAN GHALOUT	A1	Unfit in Aye one due to substandard DV in Both Eyes.
9	ALP-0550	131241190063727	ROHAN VISHWAS	A1	Unfit in Aye One (A-1) as per three-member medical committee.
10	ALP-0602	131245130196731	ASHUTOSH SINGH	A1	Unfit in Aye One (A-1)
11	ALP-0611	131242130072723	SANDEEP KUMAR DIWAKAR	A1	Unfit in Aye one (A-1) due to substandard Distance vision.
12	ALP-0613	131242130082785	MANISH KUMAR	A1	Unfit in Aye one (A-1) due to substandard vision.
13	ALP-0619	131242130118908	DEEPAK AZAD	A1	Unfit in Aye one (A-1) due to substandard Distant Vision
14	ALP-0642	131245170027924	DAL CHAND RAWAT	A1	Unfit in Aye One (A-1)
15	ALP-0698	131245190169401	DEEPENDRA KUMAR DWIVEDI	A1	As per Three Member Committee decision, Unfit for Aye One due to stammering.
16	ALP-0735	131244130081450	HARSHIT YAGYIK	A1	Unfit in Aye One due to substandard vision (By DMC)
17	ALP-0738	131244130108222	NEEL KAMAL MAURYA	A1	Unfit in A1 as per DMC due to substandard vision for Aye One category.
18	ALP-0786	131244190000903	KRISHNA MOHAN YADAV	A1	As per three-member committee unfit in Aye One due to substandard vision in Rt. eye.
19	ALP-0788	131244190052203	RANJEET VERMA	A1	As per three-member committee unfit in Aye One due to substandard vision in left eye.
20	ALP-0796	131244190120297	SANJAY KUMAR	A1	As per three-member committee unfit in Aye One due to amputation of left-hand little fingers.

SL	DV Sl. No.	Roll Number (CBT2)	Name	Medical Standard	Medical fitness Report
21	ALP-0800	131244190193589	DINESH SONI	A1	As per three-member committee due to substandard vision in both eye & bilateral subcapsular Catterall. He is Unfit in Aye One.
22	ALP-0804	131244250005443	SUDARSHAN KUMAR	A1	Unfit in Aye One as per DMC due to substandard vision in left eye.
23	ALP-0812	131243170047060	SONU MEENA	A1	Unfit in Aye One due to amputated (R) Index finger.
24	ALP-0816	131243170105062	SATYA PRAKASH MEENA	A1	Unfit in Aye One due to sub-standard vision.
25	ALP-0828	131245190243747	SUNAINA SAXENA	A1	Unfit in Class A1 as per IRMM 2000 Para 512 (i) due to substandard DV in both eyes

नोट :

- डीएमसी में उपस्थित न होने वाले उम्मीदवार अपील के लिए पात्र नहीं हैं।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड, प्रयागराज द्वारा दस्तावेज सत्यापन के बाद जारी किए गए मेडिकल एडमिट कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।
- अपील के बाद चिकित्सा परीक्षण का कोई और मौका नहीं दिया जाएगा

सूचना संख्या. 08/2026

दिनांक: 18.02.2026

सदस्यसचिव रे०भ०बो०प्रयागराज

Proforma-‘A’

PROFORMA FOR MEDICAL CERTIFICATE TO BE OBTAINED FROM SPECIALIST BY CANDIDATE FOR APPEAL TO PCMD AGAINST THE DECISION OF THE COMMITTEE.

(Authority: Railway Board's letter No.2014/H/5/8(Policy), Date 07.07.2017)

Photograph
attested by issuing
authority

I have checked up Shri S/o

Address.....wh

o bears following marks of identification (i)

(ii) who has applied for the post of

..... in Railway. The candidate is having following standard required for appointment on the Railway.

Post Class	Class	Standard required by Railway for above post	Examination Finding of the Candidate	Remarks
		i)		
		ii)		
		iii)		

I Specialist is fully aware of Physical & Visual Standards set by the Railways for the particular medical category and that I am aware of the fact that the candidate has already been declared unfit according to these standards during medical examination conducted by appropriate Medical Board comprising of the three Senior Railway Doctors appointed by Government in this regard.

Name of Specialist

MCI Registration No.

Mobile No.

Place

Date

(Signature of Specialist with Seal)

Application for Appeal

From

Name:-

Roll Number:-

Mobile No.:-

E-mail Id:-

To

**The Principal Chief Medical Director
North Central Railway,
Prayagraj**

(Through Chairman/RRB/Prayagraj)

1. I attended the document verification for the post of under CEN- No.02/2024 at RRB Prayagraj office, Prayagraj on date and attended the medical examination at(Railway Hospital) on.....for.....Medical Standard.

2. Reason/Justification for making appeal:

.....
.....
.....

Hence, I wish to go for an appeal and I herewith enclosing the Certificate from the specialist in Proforma-'A' along with the Demand Draft No.....Dated..... taken at(Bank Name) for Rs. 1000/-(Rupees One thousand Only) in favour of PFA, North Central Railway, Prayagraj. (Struck off which is not applicable)

Kindly consider my appeal and do the needful.

Enclosure:- 1.Proforma- 'A'

2. DD NO.....Dated.....

Date:

(Signature with Name)

Place: